कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- [illegible] वेब–साईट https://urban.rajasthan.gov.in/jda [illegible]

क्रमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2023/ 213 दिनांक :: 16/11/23

श्री बालकिशन पुत्र श्री हनुमान चन्द,

निवासी–माता का कुड, चान्दपोल, जोधपुर

विषय :–राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 33/2023 वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
5. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि परOverhead Water Tankका निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई

विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त शर्तो की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले–आउट प्लान की चार प्रतिया बिन्दुवार पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

16/11/2023

उप नगर नियोजक

कमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2023/

दिनांक ::

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. उपायुक्त (जोन–1) को प्रेषित कर लेख है कि विधानसभा आम चुनाव–2023 में आदर्श आचार संहिता के कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2023 को जारी पत्र एवम् उक्त में अंकित संदर्भित पत्रों की पालना अनिवार्य रूप में जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावें।

उप नगर नियोजक

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 249/9, 249/10 OF VILLAGE NANDRA KALLAN AT JODHPUR

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	6947.45	59.81 % ✓
PARK AREA	587.77	05.06 % ✓
M.T.,S.W. AREA	83.36	00.72 % ✓
ROAD AREA	3997.42	34.41 % ✓
TOTAL SCHEME AREA	11616.00	100.00 % ✓
Area in Bigha. = 06 Bigha		

SCALE:-1"=50'

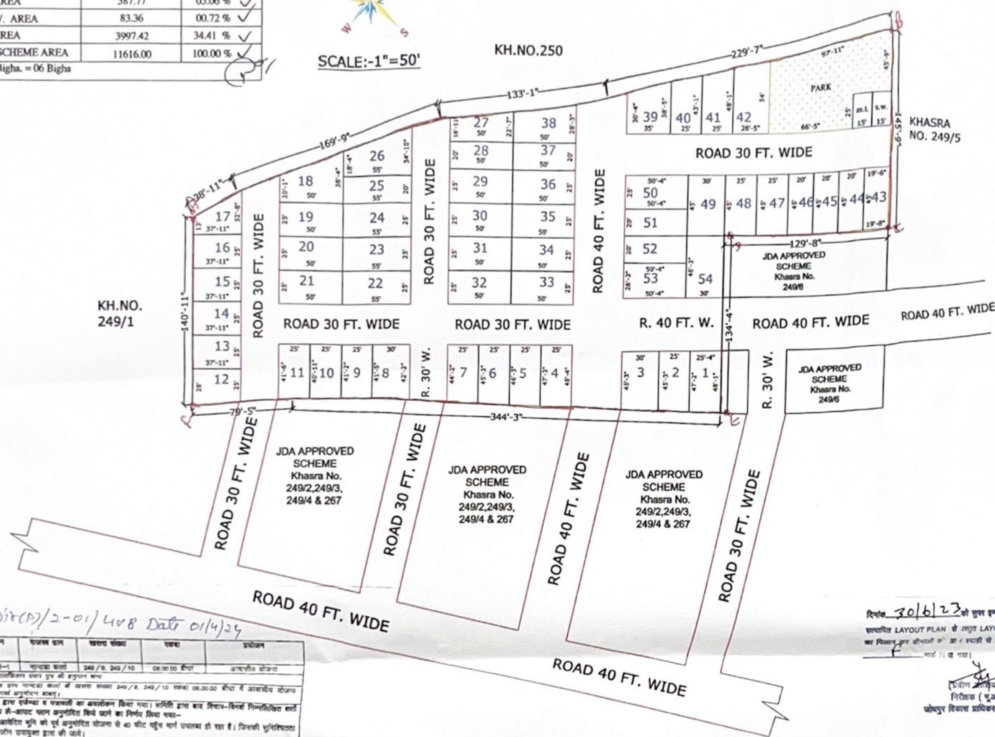

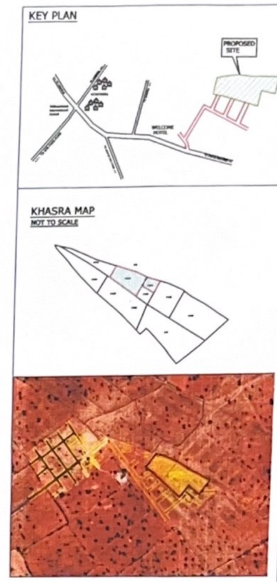

JDA/Dir(P)/2-01/4v8 Date 01/4/24

एजेण्डा संख्या 18 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.10.2023	जोन–1	नान्दड़ा कलां	249/9, 249/10	06.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री ... पुत्र श्री हनुमान ...				
विषय–	राजस्व ग्राम नान्दड़ा कलां के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया–				

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन की दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
5. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
6. योजना का क्षेत्रफल 2 हे0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक आयोजना की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अपत्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/23
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/23
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

आयुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक 30/6/23 को गुगल इमेज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से उक्त LAYOUT PLAN का मिलान कर ... बिन्दु A से ... गया।
(प्रवीण ...) 4/12/23
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services

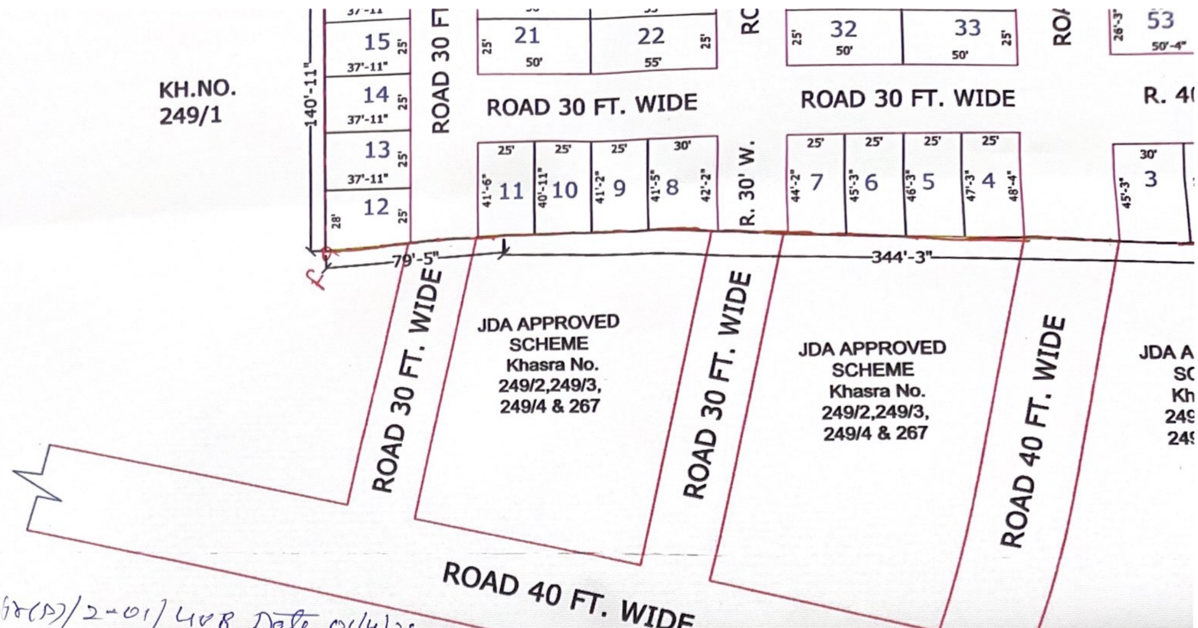

JDA/Dir(P)/2-01/448 Date 01/4/24

एजेण्डा संख्या 19 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.10.2023	जोन–1	नान्दडा कलां	249/9, 249/10	06.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बालकिशन पंवार पुत्र श्री हनुमान चन्द				
विषय–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ लै–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–				

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
5. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/2023
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/23
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

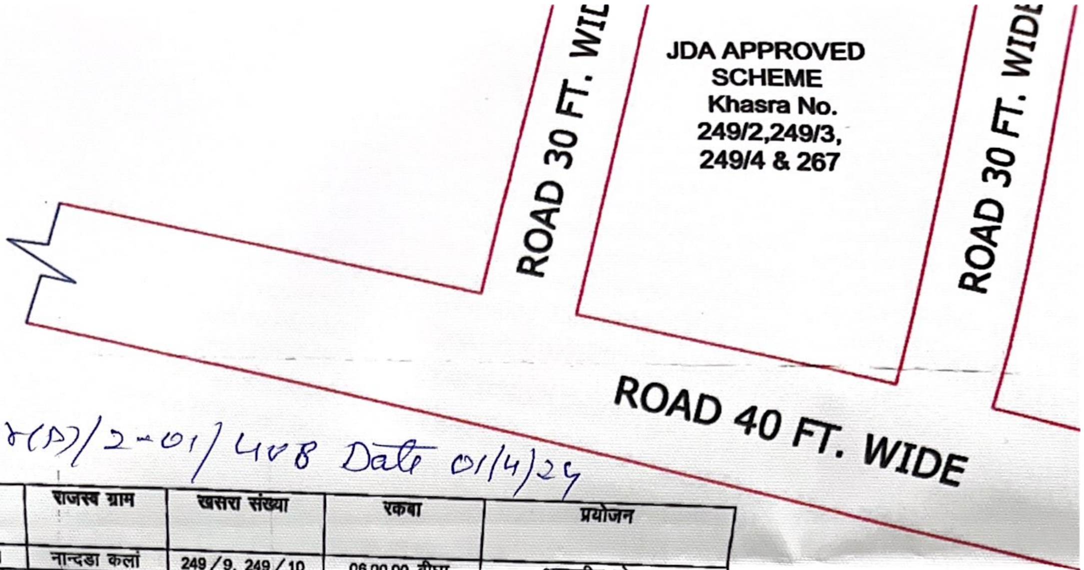

JDA/DIR(P)/2-01/408 Date 01/4/24

एजेण्डा संख्या 19 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.10.2023	जोन–1	नान्दडा कलां	249/9, 249/10	06.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बालकिशन पंवार पुत्र श्री हनुमान चन्द				
विषय:–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/2023
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/23
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AB 308373

कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर (राजस्थान) 30 JAN 2024

NOTARY PRAVEEN CHOUDHARY ADVOCATE JODHPUR (RAJ.) REG.No. 13862 Exp. Dt.07.02.2024 GOVT. OF INDIA

रहन नामा (Mortgage Deed)

रहन–नामा एक लिख देता हूँ कि मैं बालकिशन पंवार पुत्र श्री हनुमान चन्द, उम्र 29 वर्ष, निवासी– चांदपोल माता का कुण्ड, जोधपुर राजस्थान 342001 जिन्हें इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा,

बहक

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जिन्हें आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते है कि :–

NOTARY PRAVEEN CHOUDHARY ADVOCATE JODHPUR (RAJ.) REG.No. 13862 Exp. Dt.07.02.2024 GOVT. OF INDIA

Balkishan

......2

ATTESTED

14/1/24

NOTARY JODHPUR

नकल हेतु जारी प्रमाणित फोटो प्रति

उपायुक्त

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

नाम मुद्रांक विक्रेता:- मोहम्मद शकील अनुज्ञा पत्र संख्या C 5/...

रजि. क्र. सं. 1274. 14/02/24 मु. पैराष्ट्र व क्र. 500

मुद्रांक क्रेता का नाम बालकिशन

पिता / पति का नाम हनुमान चंद

पत्ता- माता की कुंड जोधपुर

प्रयोजन...... डीडी

(हस्ते क्रय की दशा में ...) प्रदीप

क्रेता / हस्ते के हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर
कचहरी परिसर, जोध

319, 7509-7498 4570

NOTARY PRAVEEN CHOUDHARY ADVOCATE JODHPUR (RAJ.) REG.No. 13625 GOVT. OF INDIA

50

150

150

नकल हुतु ... प्रमाणित फोटो प्रति

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

NOTARY PRAVEEN CHOUDHARY ADVOCATE JODHPUR (RAJ.) REG.No. 13625 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY JODHPUR

Scanned with OKEN Scanner

1. यह है कि प्रथम पक्षकार की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 249/9 रकबा 5 बीघा. खसरा संख्या 249/10 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम नान्दकलां, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है।

2. यह है कि उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट दिनांक– 06/10/2023 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90–ए की कार्यवाही दिनांक– 14/08/2023 को पूर्ण हो चुकी है।

3. यह है कि टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत् 12.5 प्रतिशत भूखण्ड द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है। इस आवासीय कोलोनी में आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है अन्यथा विकास नहीं करने पर भूखण्डों को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

NOTARY
PRAVEEN CHOUDHARY
ADVOCATE
JODHPUR (RAJ.)
REG.No. 13862
Exp. Dt.07.02.2024
GOVT. OF INDIA

4. यह है कि उक्त खसरा संख्या 249/9 रकबा 5 बीघा खसरा संख्या 249/10 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम नान्दकलां, के अनुमोदित ले–आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड का विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्डों का क्षेत्राफल (वर्गगज में)
1.	17	97.42
2.	18	162.6
3.	26	164.18
4.	27	109.76
5.	38	140.19
6.	39	134.75
7.	40	113.19
	कुल नाप	922.09 वर्गगज

Bal Kishan

ATTESTED
NOTARY JODHPUR

नकल हेतु जारी प्रमाणित फोटो प्रति
उपायुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि आवासीय योजना में आन्तरिक विकास 1 वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि उक्त समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नही होने पर ULB 10 प्रतिशत प्रचलित कनवरसेशन चार्ज वसूल कर कार्य हेतु 2 वर्ष की समय सीमा बढा दी जायेगी।

6. यह है कि उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखण्डों को मैं प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत् 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के अन्तर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहा हूँ।

7. यह है कि उक्त भूखण्डों को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिये रहन रखा गया है। जो आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात् द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात् ही उक्त 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने की अधिकारी रहेगा।

NOTARY
PRAVEEN CHOUDHARY
ADVOCATE
JODHPUR (RAJ.)
REG.No. 13862
Exp. Dt.07.02.2024
GOVT. OF INDIA

लिहाजा यह रहननामा प्रथम पक्षकार ने उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्यों के बाबत् आज दिनांक– 14.02.2024 को द्वितीय पक्षकार– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से बिना किसी नशे पते एवं बिना किसी दबाव के पडकर सुनकर निष्पादित कर दिया है, जो लिखे माफिक सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

Balkishan

IDENTIFIED BY

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

साख 1 मै प्रदीप चौधरी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री गजेन्द्र चौधरी उम्र 35 वर्ष, जाति जाट निवासी– 148 शिव शक्ति नगर नंदरी सूरज, बनाड, जोधपुर, 342027

IDENTIFIED BY

साख 2. मै प्रकाश रंगा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मोतीलाल रंगा उम्र 25 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी– 116 नाथो का बास ..., जोधपुर 342001

Balkishan

ATTESTED

नकल हेतु जारी प्रमाणित फोटो प्रति
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

	कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर	
	आवक क्रमांक : 280676	आवक दिनांक : 15-03-2024

जोन : Zone-1
प्रेषक का नाम : प्रदीप चौधरी /
पता : 148 शिव शक्ति कोलोनी नांदडी बनाड रोड,जोधपुर
फोन नम्बर : 8114416010
विषय : प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करना
क्षेत्र से सम्बन्धित : खसरा सं. : 249/9,249/10, नान्दड़ाकला
निस्तारण की दिनांक : 30-04-2024